आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
24.01.2023	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तद्नुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमांबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
31.01.23	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक 14.02.2023 को रखें। 31.1.23 अंचल अधिकारी मनातू।	

अभिलेख अपस्थापित।

14.2.23

राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। कि मौजा......मितकिला......, थाना सं0......359...... खाता सं0–......27......, प्लौट सं0. ......567/1...... रकबा 0.20.20 ......है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी II के पृष्ठ सं0......149/12...... पर राजमोहन सिंह के नाम...... से मांग कायम है।

अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अमीन के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं है। वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

14.2.23

अंचल अधिकारी,

मनातू।

14.2.23

अंचल अधिकारी,

मनातू।

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी
मनातु, पलामू।

विषय!- संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी केश नं० 17/16-17 से सम्बन्धित जाँच प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महाशय,

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबन्दी केश नं० 17/16-17 से सम्बन्धित, ग्राम भितकिला थाना नम्बर- 359 के खाता 27 प्लौट 567/1, रकबा 20 डी० भूमि का जाँच हेतु गया। जाँचोपरांत प्रतीत होता है, कि बन्दोबस्तधारी के उपरोक्त प्लौट में अंश रकबा पर दखल वर्तमान में है।

अतः! आवश्यक कारवाई हेतु जाँच प्रतिवेदन सादर समर्पित है।

विश्वास भाजन
अंचल अमीन
मनातु
31/01/23

सेवा में,

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

विषय: संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में ग्राम - सितकिला, थाना नं० - 359 खाता - 27, प्लॉट - 567/1, रकबा - 0.2080 जमाबंदीदार राजमोहन सिंह पिता - स्व० लालधारी सिंह के भूमि का स्थल जाँच किया एवं उपलब्ध भूमि अभिलेख एवं दस्तावेजो से मिलान के उपरांत निम्न सूचना प्राप्त होती है -

① ग्राम - सितकिला, थाना नं० - 359 के पंजी II का विवरण निम्न प्रकार है -

राजमोहन सिंह पिता - स्व० लालधारी सिंह

खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	पेज	परिवर्तन का प्राधिकार
27	567/1	0.2080	Rs 2/-	149/12	बन्दोबस्ती वाद सं० - 139/2002-03 अनुमण्डल पदा० सदर डालटनगंज द्वारा स्वीकृत।

* लगान रसीद का विवरण निम्न प्रकार है -

क्र०	लगान रसीद संख्या	लगान रसीद दिनांक	वसूली वर्ष
1.	3946453	5/10/2004	2004-05
2.	3948848	23/7/2005	2005-06
3.	1102918	1/3/2008	2007-08
4.	1109181	26/1/2010	2009-10
5.	119219	28/1/2016	2015-16

② ग्राम - सितकिला, थाना नं० - 359 के खतियान एवं संबंधीत उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार खाता - 27, प्लॉट - 567 गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है, किस्म - जंगल झाड़ी है।

③ उपस्थित ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधि से पूछताछ के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई की उपरोक्त जमाबंदीदार एवं उनके पूर्वज [illegible] के समय से उक्त भूमि पर जोत-कोड़ एवं खेती करते आ रहे है। अतः उक्त जमाबंदी संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं प्रतीत होता है।

④ अंचल अमीन से प्रश्नगत भूमि पर जमाबंदीदार का दखल-कब्जा प्रतिवेदन प्राप्त कर अग्रेतर कारवाई की जा सकती है।

अतः नियमानुसार अग्रेतर कारवाई हेतु सादर समर्पित।

Sheshank
1/02/2023
रा० उ० निरीक्षक
मनातू

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2023.02.23 17:44:12 +05:30
Location: 10.93.157.5